AIDWA

- अनुक्रम
- विषेश सपांदकीय – मरियम धावले
- 8 मार्च इतिहास के पन्नों में – महान क्रांतिकारी, अलेक्सांद्रा कोलोनताई की जीवन कथा से। लेखिका, कैथी पोर्टर
- 8 मार्च पर्चा
- आम बजट – जनवादी महिला समिति की प्रतिकिया
- न्यूज़क्लिक पर सरकार का हमला – प्रांजल पांडेय, संपादक न्यूज़क्लिक
- एडवा स्थापना दिवस 12 मार्च पर जत्थे हेतु गीत – मनजीत मानवी
- किसान आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी – सविता
- हम खेतों से वादा करके आये हैं – एक गीत – मधु गर्ग
- स्तंभ
- कार्यकर्ता की डायरी – रोहतक की षीला– अंजू ''आस''
- फिल्म समीक्षा – द ग्रेट इंडियन किचन – संध्या षैली

विषेश संपादकीय

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष में एक कदम आगे

मरियम धावले, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति

प्रिया रमानी का हाल ही में आपराधिक मानहानि मामले में बरी होना महिलाओं के अधिकारों के संघर्ष में मील का पत्थर है। रमानी ने आरोप लगाया था कि दो दशक पहले नौकरी के इंटरव्यू के दौरान संपादक एम जे अकबर ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। जब उन्होंने यह आरोप लगाया तो अकबर केंद्र की भाजपा सरकार में मंत्री थे । अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप 20 और महिला पत्रकारों ने भी लगाए थे। अकबर ने रमानी पर आपराधिक मानहानि और अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए मुकदमा किया । इसी मामले में रमानी को बरी कर दिया गया था।

एम जे अकबर ने अपना केस लड़ने के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों को लगाया था। लेकिन प्रिया रमानी की वकील रेबेका जॉन ने इस मामले को सराहनीय तरीके से लड़ाई लड़ी।

अदालत के आदेश ने हिंसा–मुक्त, सुरक्षित कार्यस्थल के लिए एक महिला के अधिकार को बरकरार रखा। इसमें यह भी बताया गया कि मानहानि की आपराधिक शिकायत के बहाने यौन दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक महिला को दंडित नहीं किया

जा सकता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसे दी गयी गारंटी के अनुसार जीवन और गरिमा के अधिकार की कीमत पर प्रतिष्ठा के अधिकार की रक्षा नहीं की जा सकती।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिला के समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन के अधिकार का भी हनन है। यह महिलाओं के लिए एक असुरक्षित, डराने वाला और शत्रुतापूर्ण काम का माहौल बनाता है । यह महिलाओं को अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए अवसरों की मांग करने से हतोत्साहित करता है ।

यौन उत्पीड़न की घटनाओं को पहले गंभीर अपराध नहीं माना जाता था और महत्वहीन भी बना दिया जाता था। ''इतना क्यों हो हल्ला किया जा रहा है जबकि उस आदमी ने छूआ भर ही तो है या फिर आंख ही तो मारी है या फिर केवल अश्लील टिप्पणी ही तो की है !!'' –पितृसत्तात्मक दुनिया का यह एक सामान्य बचाव हुआ करता था।

1992 में भंवरी देवी के साथ बेरहमी से गैंगरेप किया गया था क्योंकि उन्होंने राजस्थान में एक बाल विवाह को रोकने की कोशिश की थी। भंवरी देवी ने अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और न्याय की लड़ाई लड़ी। हालांकि आरोपियों को निचली अदालत ने बरी कर दिया था। लेकिन भंवरी देवी का दृढ़ निश्चय से अपने संघर्षों को जारी रखने और कोर्ट के द्वारा आरोपियों को आश्चर्यजनक तरीके से बरी करने ने कई महिला समूहों और एनजीओ को विशाखा के सामूहिक मंच के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया।

1997 में सुप्रीम कोर्ट के विशाखा फैसले से पहले कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़ी किसी घटना पर नियोक्ता द्वारा कैसे कार्रवाई की जानी चाहिए, इस बारे में कोई औपचारिक दिशा–निर्देश नहीं थे।

13 अगस्त, 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी कार्यस्थलों या संस्थानों के लिये दिशा–निर्देश तैयार किए, जब तक कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून 2013 में लागू नहीं किया गया । उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14, 15, 19 (1) (जी) (जी) और 21 के तहत भारत के संविधान में निहित मानवाधिकारों के बुनियादी सिद्धांतों को शामिल करते हुए महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव (सीडॉ) को समाप्त करने वाले कन्वेंशन के प्रावधानों को शामिल किया, जिसकी भारत सरकार द्वारा 1993 में पुष्टि की गई थी । उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों को संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत घ ोषित कानून माना जाना था। इससे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का मुद्दा फोकस में आ गया । फिर भी केंद्र सरकार को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 को अधिनियमित करने में 17 साल लग गए ।

यह अधिनियम यौन उत्पीड़न को अवांछित कृत्यों या व्यवहार (चाहे सीधे या निहितार्थ से) अर्थात् शारीरिक संपर्क और आक्रामकता के साथ यौन संबंधों के लिए मांग या अनुरोध,

अश्लील टिप्पणी करना, पोर्नोग्राफी दिखाना, यौन प्रकृति का कोई अन्य अनिष्ट शारीरिक, मौखिक या गैर–मौखिक आचरण के रूप में परिभाषित करता है।

इस अधिनियम के बावजूद यौन उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष की राह लंबी और दुरूह रही है । इस अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली महिलाओं को न्याय की लड़ाई में अपमान और ज़बरदस्त बाधाओं का सामना करना पड़ा है । मी टू आंदोलन ने इस मुद्दे को अग्रिम रूप दिया और कड़ा संदेश भेजा कि महिलाएं इस अपमान के खिलाफ चुप नहीं रहेंगी ।

इस पृष्ठभूमि में प्रिया रमानी के फैसले का बहुत महत्व है। यह एक तरह से स्वाभिमान और समानता के लिए महिला आंदोलन की लड़ाई की पुष्टि है । दिल्ली की अदालत के फैसले में एक महिला को सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार को बरकरार रखा गया है। इन सबसे कठिन समय में, जब इतने सारे निर्दोष लोग जेल में सज़ा काट रहे हैं और ज़मानतों को अस्वीकार किया जा रहा है, तो यह निर्णय गहरे अंधेरे के बीच एक रोशनी की एक किरण के समान है ।

भले ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतें सुई की नोक के बराबर हैं, और महिलाएं सामाजिक कलंक के कारण इसके खिलाफ आवाज़ उठाने से बचती रहती हैं, लेकिन यह निर्णय महिलाओं को बोलने और ऐसे अपमान को स्थायी बनाने से रोकने के लिए प्रोत्साहित करेगा ।

8 मार्च

(महान क्रांतिकारी, अलेक्सांद्रा कोलोनताई की जीवन कथा से। लेखिका, कैथी पोर्टर)

देश भर मे एडवा के साथी 8 मार्च की तयारी कर रहे हैं। हमने फैसला किया है कि राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार सबको बचाए रखने के नारे लगाकर हम 8 मार्च को मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन तमाम अधिकारो से हमे वंचित करने पर तुली हुई है लेकिन हमने भी इन्हें बचाने की ही नहीं बल्कि इन्हें विस्तृत और मज़बूत करने की ठानी है।

8 मार्च का इतिहास हमें ऐसा करने की हिम्मत और प्रेरणा देता है।

रूस मे 1917 के 8 मार्च को याद कीजिये...

सेंट पीटर्सबर्ग मे महिलाएं 8 मार्च की तयारी में जुटी थीं। इस बड़े औद्योगिक केंद्र का माहौल बहुत ही विस्फोटक था। महायुद्ध चल रहा था और हज़ारों सैनिक रोज़ मर रहे थे। खाने–पीने के सामान की बेहद कमी पूरे देश में महसूस हो रही थी। कई कारखानों

में मज़दूर हड़ताल पर थे या फिर ज़ारशाही के हमले झेल रहे थे। इस संदर्भ मे महिलाएं कुछ नए तरीके से 8 मार्च को मनाने की सोच रही थीं...और एक दिन पहले, 7 मार्च को ही, उनका आक्रोश फूट पड़ा!

'7 मार्च को जब पूटीलाव सैन्य कारखाने में तालबंदी करके मज़दूरों को कारखाने से बाहर कर दिया गया, तो महिलाओं ने मामले को अपने हाथों मे लेकर सड़कों पर हल्ला बोल दिया। दोपहर तक वे रोटी के लिए लगी कतारों को छोड़, बेकरियों को लूटने और हज़ारों की संख्या में, हाथ मे प्लैकार्ड लिए जिन पर लिखा था 'रोटी', 'हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं' 'हमारा राशन बढ़ाओ' , प्रदर्शन करने लगीं। थोड़ी देर मे, बस्तियों से और सूती मिलों में काम करने वाली औरतें नेवा नदी के उन पुलों को पार करके आने लगीं जो गरीब इलाकों को शहर के केंद्र के साथ जोड़ती थे। इसके बाद, वसीलेव टापू के बस अड्डे में काम करने वाली औरतें भी वहाँ पहुँच गईं। लेकिन, पहले वे पड़ोस के उन बैरकों मे गईं जहां फौज की टुकड़ी मौजूद थी। उन्होंने सिपाहियों से इस बात का वचन लिया कि वे उन पर तब गोली नहीं चलाएँगे जब वे हड़ताल करके निकल पड़ेंगी। 9 मार्च तक, पेट्रोग्राड के लाखों नागरिक सड़कों पर चिल्ला रहे थे 'युद्ध का नाश हो' जो अधिक बहादुर थे, वे चिल्ला रहे थे 'ज़ार का नाश हो'! अपनी पढ़ाई को छोड़, छात्र उनके साथ आ गए। महिलाएँ फौजी बैरको मे झुंड बनाकर घुस गईं सिपाहियों की बंदूके छीनने लगीं। ट्राट्स्की ने लिखा 'वे मर्दों से अधिक बहादुरी के साथ फौजी अफसरों की ओर जाती हैं। उनकी राइफलों को पकड़कर वे उनसे मिन्नतें करती हैं, करीब–करीब उनको आदेश देती हैं– अपनी बंदूके गिरा दो। हमारे साथ आ जाओ!'

....लगातार उनकी ताकत बढ़ती गयी और अगले कुछ दिनों में उन महिलाओं ने रोटी के लिए दंगे, राजनीतिक हड़तालें और प्रदर्शन करती हुईं, पूरे शहर में फैला दिये। महायुद्ध के पिछले तीन वर्षों की भूख और उत्पीड़न के अंत की मांग करती हुई उन्होंने 1917 की पहली क्रान्ति को जन्म दिया।'

8 मार्च पर्चा

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ज़िंदाबाद ..

लोकतंत्र बचायेंगे, महिला अधिकारों की गारंटी सुनिष्चित करवायेंगे

साथियों,

अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस महिला अधिकारों के संघर्षों की विरासत को याद करने व आने वाली चनौतियों के लिए संकल्प लेने का दिन है। साथियों, यह बीता साल हम सबके लिये बेहिसाब चुनौतीपूर्ण रहा जहां कोरोना महामारी के संकट ने आम जनता की रोज़ी–रोटी छीन ली वहीं सरकार की अमीरपरस्त नीतियों के कारण कुछ खरबपतियों की तिजोरियां दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से भर गईं । एक ओर कोरोना महामारी का संकट और दूसरी ओर मंहगाई की मार ने आज गरीब औरत की जिदगी को बद से बदतर बना दिया है । महिला हिंसा की वीभत्स घटनाओं ने हमें सिहराकर रख हिया है । महिला सुरक्षा के नारे बस कागज़ों तक सिमट कर रह गये हैं क्योंकि देशभर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई है। एनसीआरबी के 2019 के आंकडे बताते हैं कि पिछले तीन सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेज़ से वृद्धि हुई है।

आज हमारे संविधान और लोकतंत्र दोनों पर ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं। लंबे संघर्शों के बाद हासिल किये गये हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हर दिन हमला हो रहा है । हमारे

व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता को तानाशाही फरमानों के बूटों तले कुचला जा रहा है। अभिव्यक्ति के हर स्वर, जो लोकतंत्र की आत्मा है, को घोंट दिया जा रहा है।

किंतु... हम महिलाओं ने हमेशा ही हर चुनौती का मुकाबला पूरे साहस के साथ किया है। हम 100 साल से भी पहले अपनी मज़दूरी बढ़ाने व काम के घंटे कम करने के लिए हज़ारों की संख्या में सडकों पर निकली तो वोट के अधिकार व सम्मानजनक ज़िंदगी के लिए आवाज़ बुलंद की । हमने उस वक्त एक हाथ में रोटी और एक हाथ में गुलाब लेकर युद्ध के खिलाफ शांति की अपील की। हम लड़ रहे हैं नफरत के खिलाफ। हमने अपने सभी अधिकार भीख में नहीं बल्कि लड़ कर पाये हैं। और.. आज भी हम लड़ रहे हैं... रोज़ी–रोटी और अपनी सुरक्षा के लिये। हम लड़ रहे हैं संसद और विधानसभाओं में अपनी जगह सुनिश्चित करवाने के लिये... हम लड़ रहे हैं कंधे–से–कंधा मिलाकर अपने किसान भाईयों के साथ क्योंकि

हम जानते हैं कि हमारे अन्नदाता का संघर्ष ही हमारी रोटी की गारंटी देता है ।

हम लड़ रहे हैं रोटी ओर सम्मान के लिये

हम लड़ रहे हैं बदलाव और इंकलाब के लिये

2021–2022 का बजट महिलाओं की उपेक्षा तथा खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालने वाला है..
जनवादी महिला समिति द्वारा जारी व्यक्तव्य

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति वर्ष 2021–22 के महिला हितों के विरोधी बजट की जोरदार शब्दों में भर्त्सना करती है. समिति यह नोट करती है कि बजट बनाते समय केंद्र सरकार द्वारा हाशिये पर पड़े कमजोर तबकों की मुश्किलों तथा अभावों की घोर उपेक्षा की गयी है. इस बजट को एक ऐसे वक्त पर पेश किया गया है जब महामारी के दौरान आर्थिक संकट काफी गहरा गया है. ऐसे दौर में सरकार जिन श्रम कानूनों तथा किसान विरोधी कानूनों को लेकर जनता के सम्मुख उपस्थित हुई है, उनसे महिलाओं एवं उनके परिवारों की ज़िंदगियां कोर्पोरेट जगत के रहमोकरम पर और अधिक सीमा तक निर्भर होती जायेंगी.

सरकार असल में इस झूठ को परोसने में लगी है कि अर्थव्यवस्था में अंग्रेजी भाषा के अक्षर 'वी' की तर्ज पर विकास होना शुरू हो गया है, अर्थात् समाज के हर तबके के आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है. लेकिन 'ग्लोबल इनइक्वलिटी रिपोर्ट' के इंडिया सप्लीमेंट (2021) की मानें तो जो 'अत्याधिक धनिक' वर्ग है, उसने तो महामारी के दुष्प्रभावों से मुक्ति प्राप्त कर ली है, लेकिन जनसँख्या के अधिकतर हिस्से बेरोज़गारी, कम आय तथा भयंकर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं. इन परेशानियों की ओर जनवादी महिला समिति तथा अन्य महिला संगठनों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, और महामारी के बाद की स्थिति से निपटने के लिए आजीविका, मुफ्त राशन, तथा ग्रामीण

रोज़गार गारंटी योजना में अधिक निवेश की मांग की है. इनके अतिरिक्त महिला समिति ने महामारी के दौरान बढ़ती हिंसा की शिकार महिलाओं की सुरक्षा, पुनर्वास तथा समर्थन की मांग को भी उठाया है.

बजट में उपरोक्त सभी बातों की अनदेखी की गयी है, तथा सार्वजनिक खर्चों में भारी कटौती कर दी गयी है. बजट से यह बात ज़ाहिर होती है कि चालू वित्त वर्ष (2020–21) के दौरान कुल खर्चे का संशोधित आंकड़ा 34.5 लाख करोड़ रुपये का है, जो जीडीपी का 17.7 प्रतिशत बैठता है. लेकिन वर्ष 21–22 के लिए कुल खर्चे का प्रावधान 34.83 लाख करोड़ रुपयों का रखा गया है, जो जीडीपी का केवल 15.6 प्रतिशत ही बैठता है. इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार अपने खर्चों में 2.1 प्रतिशत की कमी लाना चाहती है, जबकि महामारी का दौर अभी जारी है, तथा आर्थिक संकट गहराता ही जा रहा है. इसी सन्दर्भ में जब हम जेंडर बजट पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि वर्ष 2020–21 के 2.07 लाख करोड़ रुपये के संशोधित आंकड़ों (जीडीपी का 1.06 प्रतिशत) की तुलना में इसमें भारी कटौती करके 1.53 लाख करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है, जो जीडीपी का महज 0.4 प्रतिशत बैठता है. इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 3,310 करोड़ रुपयों का चकित कर देने वाली कम राशि का आवंटन किया गया है.

कुल मिलाकर जेंडर बजट में जो कमी की गयी है, वह पोषण एवं खाद्य सुरक्षा के खर्चों में की गयी कमी से ज़ाहिर हो जाती है. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया है कि जनता के सम्पूर्ण स्वास्थ्य तथा कल्याण पर बजट का फोकस रहा है, और पोषण को जन कल्याण का एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है, जिसके लिए 'मिशन पोषण–2' की शुरुआत की जायेगी, जिसमें बाल विकास एवं पोषण अभियान को, तथा किशोरी एवं राष्ट्रीय क्रेच योजना को एक साथ जोड़ दिया जाएगा. इस प्रकार मिशन पोषण–2 के लिए कुल आवंटन 20,100 करोड़ रुपयों का किया गया है, जो कि वर्ष 2020–21 के लिए आवंटित राशि से लगभग 20 प्रतिशत कम है. मिड डे भोजन योजना के तहत जहां आवंटन लगभग स्थिर रहा है, वहीं खाद्यान्न सब्सिडी में वर्ष 2020–21 की संशोधित राशि 4.22 लाख करोड़ की तुलना में आगामी वर्ष के लिए आवंटन 2.43 लाख करोड़ रुपये का किया गया, जो 42.5 प्रतिशत की कमी दर्शाता है. इसका आशय तो यही हो सकता है कि सरकार महिलाओं को पोषण तथा अन्य समर्थन प्रदान करने का इरादा नहीं रखती है. रसोई गैस सब्सिडी में भी लगभग 60 प्रतिशत की भारी कमी की जा रही है. इन सब कटौतियों की वजह से बढ़ते कुपोषण की स्थिति बदतर होती जायेगी.

जीविका के संकट की बिगड़ती स्थिति का संकेत इस तथ्य से भी ज़ाहिर होता है कि ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के लिए प्रावधान में कमी की गयी है. सरकार ने इस वर्ष राहत के रूप में जिस 40 हज़ार करोड़ की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया था, उसको अगले वर्ष जारी नहीं रखा जाएगा. इससे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के संकट से निपटने के लिए सरकार के वायदों में कमी ही झलकती है. पशु पालन तथा मत्स्य पालन के क्षेत्र में मामूली बदलाव किये गए हैं. कुल मिलाकर नतीजा यह निकलता है कि महिलाओं को जीविका के समर्थन से वंचित रखा गया है.

उपरोक्त के साथ साथ विधवा पेंशन सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना में भी कटौती की गयी है. वर्ष 2020–21 के दौरान इस मद में संशोधित धनराशि 42.6 हजार करोड़ रहने की संभावना जताई गयी है. इसको आगामी वर्ष 2021–22 के लिए 9,200 करोड़ रुपये ही रखा गया है. इसका तात्पर्य यह है कि सरकार समाज के सबसे अधिक निर्बल तबकों की भी सहायता करने का इरादा नहीं रखती है. असंगठित क्षेत्र की सभी महिलाओं को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मामले में तो सरकार ने चुप्पी ही साध रखी है. उधर सरकार ने बाल विकास योजना तथा आशा वर्कर्स की मांगों की भी उपेक्षा कर दी है.

महिलाओं की सुरक्षा से सम्बंधित स्थिति तो और भी अधिक दयनीय है. महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से सम्बंधित सभी योजनाओं को मिलाकर बनाए गयी तथा बड़ा भारी बखान किये जाने वाली 'मिशन शक्ति' योजना के लिए मात्र 3,019 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2020–21 की तुलना में 13 प्रतिशत कम है.

तमाम सार्वजनिक अस्तियों तथा सरकारी भूमि को कोर्पोरेट खिलाड़ियों के हाथ औने–पौने दामों पर बेचा जाएगा, तथा उनको कृषि, मत्स्य पालन तथा अन्य क्षेत्रों में घुसने की इजाज़त दी जायेगी. कुल मिलाकर बजट का फोकस यह है कि सार्वजनिक अस्तियों एवं मूलभूत सेवाओं को कोर्पोरेट जगत को सौंपने को प्रोन्नत किया जाए. इन उपायों से जीवनयापन मंहगा होता जाएगा तथा महिलाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. सार्वजनिक खर्चों में इन भारी कटौतियों से महिलायें बदतर हालातों में पहुँच जायेंगी. इसलिए, ऐडवा अपनी सभी यूनिटों का तथा व्यापक जनवादी ताकतों का इस जन–विरोधी बजट का विरोध करने का आह्वान करती है, तथा महिलाओं एवं उनके परिवारों के लिए खाद्यान्न एवं आजीविका, सुरक्षा एवं सामाजिक सहयोग के लिए संघर्ष को तेज़ करने की गुज़ारिश करती है.

न्यूज़क्लिक पर सरकार का हमला

प्रांजल पाण्डेय, संपादक न्यूज क्लिक

न्यूज़क्लिक का डिजिटल मीडिया पोर्टल बहुत तेजी के साथ आम लोगों के बीच जन प्रिय हो गया है। इसकी वजह है उसका जन आंदोलनों की सच्चाई को पेश करने के प्रति जबरदस्त निष्ठा। नव–उदारवादी दौर मे मजदूरों, किसानों, गरीबों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और तमाम पीड़ित तबकों की समस्याएँ समाचार पत्रों और टी वी चैनलों के हाशिये पर चली गयी हैं। शोषण और अत्याचार के खिलाफ उनके संघर्षों और आंदोलनो के लिए तो जगह ही नहीं बची है। ऐसी हालत में जब मध्यमार्गी मीडिया पर एकाध बड़े पूंजीपति घराने का शिकंजा कसता चला जा रहा है और सरकार की जी–हुजूरी करना, उसके झूठे प्रचार को प्रसारित करना और उसको चलाने वाले लोगों द्वारा नफरत फैलाने के काम मे हाथ बँटाना उसका काम हो गया है तो न्यूज़क्लिक जैसे पोर्टल की एहमियत बहुत बढ़ जाती है। उसको पढ़ने, देखने और सुनने वालों की संख्या दिन–दूनी रात–चौगुनी बढ़ने लगती है और...वह सरकार की आँख की किरकिरी बन जाती है।

इसके फलस्वरूप, 9 फरवरी को न्यूज़क्लिक के दफ्तर और उसके प्रधान संपादक, प्रबीर पूर्यकायस्थ के घर पर ईडी का जबरदस्त छापा पड़ा। घर पर तो छापा 113 घंटों तक चलता रहा। 15 फरवरी को न्यूज़क्लिक के संपादक मण्डल ने बहुत ही प्रभावशाली बयान जारी किया जिसके कुछ अंश हम दे रहे हैं –

'(ईडी का छापा) रविवार, फरवरी 14, की सुबह तड़के समाप्त हुआ। जैसा की फरवरी 10 और 12 के बयानों मे हम कह चुके हैं, हम अधिकारियों की जांच–पड़ताल मे पूरा सहयोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम तमाम कानूनों का पालन करते आए हैं।

हमने तमाम दस्तावेज़... अधिकारियों को सौंप दिये हैं...हम न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता की इज्जत करते के हैं और 'मीडिया ट्रायल' (प्रसार के माध्यमों द्वारा चलाये जा रहे मुकद्दमे) नहीं चलाने वाले हैं। लेकिन, हम यह भी सत्यापित करना चाहते हैं की मीडिया के एक हिस्से में हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। सही समय पर हम प्रासंगिक आरोपों का उत्तर उचित स्थान पर दे देंगे।

हम अपना काम भी करते रहेंगे और इस तरह की गतिविधियों से डरेंगे नहीं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ए) द्वारा सुरक्षित, बोलने और अभिव्यक्त करने की आजादी के मूल मे है आजाद पत्रकारिता। भारत की स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक सत्ता के सामने पत्रकार, बिना किसी डर के, सत्य बोल सकेंगे। हालांकि हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं, न्यूज़क्लिक सच बोलता रहेगा। हमें भरोसा है कि कानूनी प्रक्रिया के ज़रिये हम निर्दोष ठहराए जाएंगे।

जिन संगठनों और तमाम व्यक्तियों ने हमारे काम के साथ अपना भाईचारा व्यक्त किया है, जिसमें मौजूदा किसान आंदोलन भी शामिल है, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं।

जत्थे के लिए गीत (8 से 12 मार्च, 2021)
एडवा स्थापना दिवस गीत
मनजीत मानवी

संघर्ष की राह पे चलते, नए इतिहासों को रचते,
समता और मुक्ति की खातिर , हर दम लड़ते जाएं
हम आगे बढ़ते जाएं ....
देश में एडवा की स्थापना के 40 वर्ष मनाएं
हम आगे बढ़ते जाएं.....2

1. आज़ादी के दौर में हमने, आगे बढ़ कुर्बानी दी
कैप्टन लक्ष्मी जैसी योद्धा, हिन्द फौज में खूब लड़ी
कणक, सुशीला, विमल, अहिल्या, अंग्रेजों से नहीं डरी
स्वराज्यंम ने शस्त्र उठाए, जमीदारों से टक्कर ली

ऐसी कितनी ही योद्धा, मुक्ति की राह दिखाएं .....

हम आगे बढ़ते जाएं.....2

2. शोषण से और भेदभाव से, सदा ही हमने टक्कर ली
कठमुल्लों से जात पात से, सदा ही हमने टक्कर ली
महिलाओं पे बढ़ती हिंसा को हमने ललकारा है
भूख रहित जीवन हो सबका, ये अधिकार हमारा है
देश बचाने की खातिर हम, संविधान बचाएं ...
हम आगे बढ़ते जाएं.....2

3. लंबी रहें, मुश्किल रस्ता, फिर भी चलते जाना है
हर इंसां को न्याय मिले, ऐसा संसार बनाना है
उत्पीड़न की जड़ें खत्म हों, यही हमारा नारा है
दुनिया मे इंसाफ अमन हो, ये संदेश हमारा है
साम्राजी और सांप्रदायिक, मंसूबों को हराएं
हम आगे बढ़ते जाएं.....2
देश में एडवा की स्थापना के 40 वर्ष मनाएं
हम आगे बढ़ते जाएं.....2

मज़बूत होता किसान आंदोलन और महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी

सविता, राज्य महासचिव, जनवादी महिला समिति, हरियाणा

कृषि संबंधी कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर्स पर चल रहे धरनों को 26 नवंबर को तीन महीने पूरे हो रहे हैं। इन 3 महीनों में किसान आंदोलन ने जहां एक तरफ हाड़ कंपाती हुई ठंड व बारिश का दिलेरी से सामना किया वहीं दूसरी तरफ सरकारी दमन चक्र व आरएसएस–भाजपा की ज़हरीली साज़िशों का भी मुंह–तोड़ जवाब देते हुए आंदोलन को निरंतर मजबूत किया है। इस दौरान 230 किसान शहादत दे चुके हैं, 122 किसान जेलों में बंद हैं तथा 24 किसान लापता हैं। कईयों पर मुकदमें दर्ज हैं, सैंकड़ों वाहन जब्त हैं। परंतु किसानों का एक ही संकल्प है 'जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं'। भाजपा सरकार ने जितना आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की है, आंदोलन उतना ही विस्तृत व मजबूत होकर उभरा है। किसान दिल्ली के सिंघू व टीकरी बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में आज, 22 फरवरी को "पगड़ी संभाल दिवस" मना रहे हैं। सन 1907 में "पगड़ी संभाल ओए जटटा" लहर अंग्रेज सरकार के विरोध में चलाई गई थी। आज वही आक्रोश और विरोध मोदी सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है।

इस आंदोलन में महिलाओं की विभिन्न स्तर पे हिस्सेदारी बेहद सराहनीय रही है। महिलाएँ केवल भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे आंदोलन को आगे बढ़ाने में अग्रणी और निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। चाहे पुलिस के साथ झड़प हो, आगे बढ़ कर गिरफ्तारियाँ देने की बात हो, ट्रेक्टर ट्राली चलाते हुए मोर्चा निकालने की बात हो, इस आंदोलन ने महिलाओं को, जो खेती का 70 प्रतिशत कार्य करती हैं, सरकार की महिला विरोधी नीतियों के विरुद्ध अपना आक्रोश अभिव्यक्त करने का मौका दिया है और उन्होंने आंदोलन के हर पड़ाव पर निडरता से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कारवाई है। पंजाब में भूमिहीन तबकों से बड़ी संख्या मे महिलाएँ आंदोलन से जुड़ी हैं। हरियाणा जैसे राज्यों में युवा लड़कियों की नेतृत्वकारी भूमिका भी देखने को मिली है। भले ही ये आंदोलन केन्द्रीय रूप से आर्थिक मुद्दों से संचालित है, लेकिन निश्चित रूप से इस आंदोलन ने सामाजिक स्तर पर बदलाव की जमीन तैयार करते हुए महिलाओं और वंचित तबकों को केन्द्रीय रूप से बदलाव की एजेंसी के रूप में सक्रियता प्रदान की है।

18 जनवरी – महिला किसान दिवस के माध्यम से महिला किसानों को मिली पहचान

दुनिया की पहली किसान महिला को माना जाता है। परन्तु इस सामंती व पूंजीवादी व्यवस्था में खेती का 75 प्रतिशत काम करने के बावजूद भी महिलाओं को किसान के तौर पर मान्यता नहीं है। पुरुषों से ज्यादा काम करने के बावजूद महिलाओं का केवल 12 प्रतिशत कृषि भूमि पर मालिकाना हक है। खेती संबंधी सरकारी योजनाओं व नई तकनीकों का लाभ भी महिलाओं तक नहीं पहुंचता है। लंबे समय से महिला आंदोलन इन मुद्दों को उठाता रहा है और महिलाओं को किसान के तौर पर मान्यता देने की मांग करता रहा है। साल 2017 में हरियाणा में हुए अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों के दौरान भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था और गांव–गांव में अभियान भी चलाया गया था। इस समय जब संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाने का आह्वान किया तो जनवादी महिला समिति की अनेक राज्य इकाईयों ने इसे सुनहरा अवसर मानते हुए जोरदार तैयारियां कीं। संगठन ने विभिन्न राज्यों में महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गांवों में बड़े स्तर पर अभियान चलाया व

किसान महिलाओं से संबंधित पर्चे छपवा कर वितरित किए गए। गीत व नारे लिखे गए। "खेती का सब करती काम, फिर क्यों महिला नहीं किसान" एक मजबूत आह्वान के रूप में उभर कर आया। किसान महिलाओं के काम को रेखांकित करते हुए फ्लेक्स प्रदर्शनियां भी लगाई गईं। इसका नतीजा यह हुआ कि महिला किसान भारी उत्साह के साथ कार्यक्रमों में शामिल हुई। कार्यक्रमों की अध्यक्ष, संचालक व वक्ता महिलाएं ही रहीं। अकेले हरियाणा में बॉर्डर्स के अलावा सभी 22 जिलों में लगभग 200 गांवों में औसतन 70 जगहों पर महिला किसान दिवस मनाया गया। कार्यक्रमों में महिलाओं की औसतन हाजिरी 500 से 4,000 के बीच में रही। महिलाएं खुद ट्रैक्टर–ट्राली चला कर गीत गाते हुए धरनास्थलों पर पहुंची। अनेक गांवों में नारेबाजी करते हुए महिलाओं द्वारा जूलूस निकाले गए । नतीजा यह है कि टोल प्लाजाओं, रिलायंस पेट्रोल पंपों व स्थानीय स्तर पर चल रहे धरनों में महिलाएं बड़ी संख्या में हिस्सेदारी कर रही हैं। एडवा द्वारा स्वतंत्र अभियानों के अलावा स्कीम वर्कर्स महिलाओं के साथ संयुक्त बैठक कर संयुक्त अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अलग अलग नाकों पर– सिंघु बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर महिलाओं के बड़े जत्थे ले जाए गए।

26 जनवरी के बाद

संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर परेड का आह्वान किया था। ट्रैक्टर परेड में हिस्सेदारी के लिए 23 जनवरी से ही किसानों ने भारी संख्या में बॉर्डर्स की तरफ जाना शुरू कर दिया। सड़कों पर दिल्ली की तरफ जाते हुए ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नज़र आ रहे थे। रास्ते में किसानों के खानपान के लिए लगाए गए लंगरों पर भी भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही थी। ऐसी स्थिति में लंगरों की व्यवस्था को सुचारू चलाए रखने में महिलाओं ने बड़ा योगदान दिया। ट्रैक्टर परेड़ में भी महिलाओं ने अच्छी हिस्सेदारी की। परंतु जिन परिवारों से पुरुष परेड में शामिल होने के लिए बॉर्डर पर गए हुए थे, उन परिवारों की महिलाओं ने पीछे रहकर न केवल परिवार, पशु, खेती व अन्य जिम्मेदारियों को संभाला बल्कि स्थानीय स्तर पर चल रहे धरनों में भी 26 जनवरी को बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया।

दिल्ली के लाल किले पर हुई राज्य प्रायोजित हिंसा और मीडिया के बहुमत हिस्से द्वारा हिंसा के लिए किसान आंदोलन को जिम्मेदार ठहराए जाने ने कुछ समय तक लोगों पर नकारात्मक असर डाला। भाजपा–आरएसएस ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए ताबड़तोड़ ढंग से आंदोलनकारियों पर मुकदमें दर्ज करने, गिरफ्तारियां करने, आंदोलनकारियों को खदेड़ने, लंगर हटवाने, स्थानीय लोगों के नाम पर गुंडों को भेजकर हिंसा फैलाने, बिजली–पानी बंद करने, कई दिनों तक इंटरनेट बंद करने, पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज करने सहित तमाम हथकंडे अपनाए। टोलों पर चल रहे धरनों व लंगरों को उठवाने की कोशिशें की गई। कई जगह कामयाब भी हुए। 28 जनवरी की रात को गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा विधायक और आर एस एस के गुंडों ने पुलिस के साथ मिलकर हिंसा फैलाने की कोशिश की। परन्तु किसान नेता राकेश टिकैत के आंसूओं ने ऐसा भावनात्मक वातावरण पैदा किया कि हरियाणा से रात को ही हजारों की संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर व अन्य बॉर्डर्स की तरफ चल पड़े। पलवल बॉर्डर, करनाल, पानीपत, रोहतक, झज्जर आदि जिलों में टोल प्लाजाओं पर चल रहे धरने व लंगर दोबारा से स्थापित हो गए। हरियाणा, पंजाब, यूपी,

राजस्थान के सैकड़ों गांव में छोटी–बड़ी किसान महापंचायतें होने लगीं। गांव–गांव तक आंदोलन की गूंज पहुंच गई और पहले से दुगनी ताकत के साथ किसान आंदोलन खड़ा हो गया।

खाप पंचायतों का उभार

जाति विशेष की गोत्र व क्षेत्र आधारित खाप पंचायतें किसान आंदोलन को शुरू से ही सक्रिय समर्थन दे रही हैं परंतु 28 जनवरी की गाज़ीपुर बार्डर की घटना के बाद हाशिए पर पड़ी खाप पंचायतें दोबारा से स्थापित हुई हैं। कई जगहों पर खाप पंचायतों द्वारा किसान नेताओं को बुलाकर बड़ी बड़ी सभाएं की गई हैं। परंतु यह भी देखने को मिल रहा है कि जिन जगहों पर केवल खाप पंचायतों के नाम से धरने चल रहे हैं, वहां महिलाओं, मजदूरों व दलितों की भागीदारी आंदोलन में नहीं हो रही है।

भाजपा–आरएसएस पहले ही किसान आंदोलन को सभी किसानों व मजदूरों के आंदोलन की बजाय जाति विशेष का आंदोलन साबित करने की कोशिश करती रही परन्तु अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई और आंदोलन किसान–मजदूर की एकता के रूप में स्थापित हुआ है। अब यूपी में भाजपा के जाति विशेष के नेता खाप पंचायतों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। किसान आंदोलन को इस ओर सचेतन रहने की जरूरत है।
6 फरवरी के चक्का जाम, 14 फरवरी को पुलवामा के शहीदों व शहीद किसानों की याद में केंडल मार्च में ,16 फरवरी को छोटूराम जयंती,18 फरवरी को रेल रोको कार्यक्रम और 22 फरवरी को "पगड़ी संभाल दिवस" के कार्यक्रमों और आंदोलन में संगठन की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की है। सरकार ने बहुत ही कायराना ढंग से आपस में फूट डालने, तरह तरह के झूठे मुकदमे बना कर और कई दिनों तक अनेक इलाकों में इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशें की हैं लेकिन किसान तीनों काले कानून रद्द करने की अपनी मांग पर अडिग खड़े हैं।

हम खेतों से वादा करके आये हैं

मधु गर्ग, राज्य अध्यक्ष, जनवादी महिला समिति उत्तर प्रदेष

हम खेतों से वादा करके आये हैं
क्यारी में सपने बो के आये हैं

सरसों के पीले फूलों से
बगिया में पड़े झूलों से
गन्ने की मीठी गनेरियों से
रस से भरी भेलियों से
हम वादा करके आये हैं

हरे चने के साग से
चूल्हे में जलती आग से
सौंधी सिकती रोटी से
वो छम छम करती छोटी से
हम वादा करके आये हैं

आंगन में पड़ी चरपैय्या से
खूंटे से रंभाती गैय्या से
दूध दही और मट्ठे से
हरी भरी घास के कट्ठे से
हम वादा करके आये हैं

अपने खेतों की मिट्टी से
सरहद से आई चिट्ठी से
गिद्धों की नजर न पड़ने देंगे
ये तूफान है तिनकों से न टालें जायेंगे
हम वादा करके आये हैं

तुम्हारी कीलें, ये तार कंटीले
पक्के इरादों से हो जायेंगे ढीले
तानाशाह तुम अपनी सोचो
हम तो घास बन फिर उग आयेंगे
मिट्टी मिट्टी हर कोने में छा जायेंगे
हम खेतों से वादा करके आये हैं
क्यारी में सपने बो कर आये हैं।

कार्यकर्ता की डायरी

रोहतक की 63 वर्षीय शीला हैं सबके लिए प्रेरणा स्रोत

अंजली ''आस''

रोहतक जिला कमेटी सदस्य शीला 63 वर्ष की उम्र में किसी भी युवा कार्यकर्ता को मात देती हैं। महिला आन्दोलन के किसी भी कार्य को करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहती हैं। उनसे जब हम महिला आन्दोलन से उनके जुड़ाव और अनुभवों के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि 23 वर्ष पहले वे महिला समिति से जुड़ी थीं जब उनकी सदस्यता करने एक बहन उनके घर आई थीं। अगले साल जब वो फिर से आईं तो जिज्ञासा बढ़ी और विस्तार से महिला समिति के बारे में जाना । वे आगे बताती हैं कि वे किसानी परिवार से संबंध रखती हैं इसलिए मेहनतकशों के दर्द को समझती हैं। वे सदस्यता करती हैं, विभिन्न मुद्दों पर अपने क्षेत्र में सभाएँ करवाती हैं, संगठन को आर्थिक मजबूती देने के लिए चन्दा भी करती हैं। जब हमने यह पूछा कि लोगों से चन्दा मांगने में क्या शर्म महसूस होती है, उन्होंने तपाक से जवाब दिया शर्म किस बात की, भ्रष्टाचार थोड़ा ही करते हैं, न ही देश बेच रहे मोदी की तरह । जनता के कामों के लिए जनता से मदद की अपील करना गलत थोड़ा ही है। इतनी सुलझी हुई बातें सुनकर मैंने उनसे उनकी शिक्षा के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया नौवीं तक पढ़ाई की है । पढ़ने का शौक है इसलिए हर रोज़ अखबार पढ़ती हैं, महिला समिति के पर्चे, साम्या आदि भी पढ़ लेती हैं। हमने उनसे पूछा कि महिला आन्दोलन के काम करते हुए समस्याएँ क्या आई और हासिल क्या किया । कुछ भी बताने से पहले उनकी आंखें शून्य में मानो कुछ ढूँढने लगती हैं, गहरी साँस लेकर वे कहती हैं कि संगठन के कामों में उनका साथ देने वाली उनकी ढब्बन (सहेली) सावित्री जो कि अध्यापिका थी पूरा साथ देती थी । मिलकर टक्कर लेते थे । फिर मानों सावित्री की यादों में खो जाती हैं । पलभर रुक कर वो फिर से बोलने लगती हैं एक ने कालौनी की जमीन घेर रखी थी वो छुटवाई, एक अपनी पत्नी को तंग करता था वो समझाया, सड़क बनवाई, अनाज के लिए लड़े, चुनावों में लोगों को जागरूक किया, मंहगाई के खिलाफ लड़कियों की सुरक्षा के मुददों पर, सीएए के खिलाफ धरने दिए । कितने गिनवाएँ हम तो लगे ही रहते हैं । कहीं पर भी होऊँ 8 मार्च के कार्यक्रम में जरूर पहुंचती हूँ, ये हमारा दिन है इसमें शामिल होने का चाव ही अलग होता है। बात हासिल करने की करूं तो संगठन ने तो शीला को ही बदल दिया अब मैं किसी से नहीं डरती चाहे कितना बड़ा अफसर हो । ये बात बताते हुए शीला की निर्भीकता चेहरे पर दिखाई दे रही थी। जब मैंने उनसे किसान आन्दोलन पर बात करनी चाही तो उन्होंने मेरी बोलती बंद कर दी, कहने लगी किसानी करती हूँ, किसान माटी गेल माटी होवै है, न्यूँए दाने ना आते । ढ़ाई महीने में दसियों बार किसानों के समर्थन में टीकरी बॉर्डर, सिन्घु बॉर्डर पर जाकर आई हूँ । रोहतक के कार्यक्रमों में लगातार शामिल हो रही हूं । मैंने पूछा इन कानूनों का आप विरोध क्यों कर रही हैं सरकार तो कहती है किसानों के फायदे के लिए हैं। उनका सीधा – स्पष्ट जवाब था किसान न जी तै मारण की राह है या कानून दाल में काला नहीं पूरी

दाल ही काली है । इन्ने रांधण (पकाने) तो कोनी देवां । कानून तो वापिस होवैंगे । शीला जी का आत्मविश्वास देखकर मेरा आत्मविश्वास भी चौथे आसमाँ पर पहुँच गया । लग रहा था शीला जी से बातचीत कर के एक कर्मठ कार्यकर्ता की जीवन किताब पढ कर लौटी हूँ । बेशक सांगठनिक कामों में कठिनाइयाँ बहुत हैं लेकिन जीवट से उन्हें जीता जा सकता है।

द ग्रेट इंडियन किचिन :
श्रृंगार बना दी बेड़ियों को झकझोरती, संस्कार बना दी गयी रेशम की तंग पोशाक की महीन सींवन को उधेड़ती फिल्म

संध्या षैली

बहुत सारी फिल्मे ऐसी होती हैं जिनमें महिलाओं पर, कुछ खास घटनाओं के माध्यम से, होने वाले मानसिक और शारीरिक अत्याचारों को दिखाया जाता है । लेकिन ऐसी शायद ही कोई फिल्म होगी जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी में एक औरत के साथ होने वाले व्यवहार में छिपे उसके प्रति हद दर्जे के अपमान को दर्शाया हो। इस फिल्म को देखने के बाद हठात एक और फिल्म की याद हो आती है बैंडिट क्वीन। दोनों का कोई सीधा संबंध नहीं है लेकिन दोनों ही फिल्में इस तरह की हैं कि उनके खत्म होने पर दर्शक औरत को पीड़ित करने वालों में अपने आप को पाता है और अपने मुंह पर जोरदार थप्पड लगा महसूस करने जैसी स्थिति में खड़ा और सोचता रह जाता है। यह उन फिल्मों के निर्देशक की ताकत के कारण होता है।

अभी जिस फिल्म का जिक्र किया जा रहा है वह है द ग्रेट इंडियन किचन मलयालम भाषा में बनी इस फिल्म की कई विशेषतायें हैं। सबसे बडी विशेषता यह है कि इसे कोई भी भाषा जानने वाला बिना संवादों को समझे भी समझ सकता है। इसके लिये उन कलाकारों की भावप्रवण अदाकारी के साथ साथ उन भावों को उसी वक्त कैमरे में कैद करने वाले कैमरामेन और डायरेक्टर की भूमिका भी जिम्मेदार है।
सबसे अधिक खास बात यह है कि इस पूरी फिल्म में नाटकीय कुछ भी नहीं है। एक के बाद दूसरे दिखाये जाने वाले सारे सीन हर घर में रोजाना के घटने वाले बेहद सामान्य से लगने वाले घटनाक्रम है, जिनकी असामान्यता यह फिल्म उजागर करती है।

फिल्म की शुरूवात एक सामान्य मलयाली परिवार में लड़की देखने आने वाले परिवार की आवभगत से होती है। शादी के बाद दहेज में मिली कार में आकर पति के घर में एक महिला की रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाते हुये बिना किसी संवाद के एक के बाद दूसरे दृश्य फिल्म में आते रहते हैं । सुबह होते ही पति और ससुर के नाश्ते और खाने की तैयारी करती हुई सास और बहू। सास के चेहरे पर सामान्य सा भाव है जो आम तौर पर घर के काम करते हुए महिलाओं के चेहरे पर रहता है। सुबह पति को टूथ ब्रश देने से लेकर मिक्सी होने के बावजूद पति को पसंद है इसलिये सिल बट्टे पर चटनी पीसने और गैस होने के बावजूद चावल को चूल्हे पर ही पकाने का काम बिना किसी तनाव या चिड़चिड़ाहट के साथ करते हुए सास दिखती है। शुरू में बहू के चेहरे पर ताजे और नये जीवन और घर के काम का उत्साह दिखता है जब पति चाय पीकर झूठा कप गैस की बगल में ही रख देता है। लेकिन दूसरे ही दृश्य में वह उत्साह और चेहरे की मासूम मुस्कुराहट गायब हो जाती है जब वह डाइनिंग टेबल पर बिखरी हुई झूठन और झूठी प्लेट्स को देखती है। सास ससुर की झूठी प्लेट में ही खा लेती है। सास के किसी काम से बाहर जाने पर यह सारा काम नयी बहू पर आ जाता है। लेकिन बहू की भूमिका करने वाली कलाकार ने जिस खूबी के साथ अभिनय किया है उससे बिना किसी संवाद के भी रोजमर्रा की थका देने वाली, अनुत्पादक और थोपे गये कामों से बढती हुई उसकी चिढ़ दर्शक बखूबी समझ लेता है।

पूरी फिल्म में एक के बाद एक दृश्य बदलते रहते हैं। सुबह उठकर योग करता पति और ससुर, और उसी समय उनके लिये चाय और खाना बनाती सास और बहू, ससुर को टूथ ब्रश पर पेस्ट लगा कर देती सास और सास के बाहर जाने पर बहू से भी हक के साथ उस काम को करने के लिये कहता हुआ ससुर। गंदी पड़ी डायनिंग टेबल पर आराम से खाने बैठती सास और जुगुप्सा भरी नजरों के साथ बैठती हुई बहू। मेहमानों के आने के बाद मेहमान पुरूष और पति के द्वारा किचन में पकाये गये चिकन मटन के बाद गन्दी पड़ी रसोई को साफ करती गुस्से से भरी बहू और उस काम को करने के दौरान मेहमान और पति के द्वारा चाय की फरमाइश के बाद यह पूछना कि सब तो आज हमने किया तो अब तुम क्या कर रही हो। पितृसत्तात्मक सोच को आगे बढाती माँ सहित सास, ननद और मेहमान स्त्री और उनको प्रश्नचिन्हात्मक और आश्चर्य की नजरों से देखती बहू। किचन के सिंक के टूटे पाइप की वजह से गंदा होता रसोईघर, उसे बोरे डाल डाल कर साफ करती बहू। लेकिन कई बार कहने के बाद भी करतबगार पति और ससुर के द्वारा उसे ठीक न करवाना और उपर से यह कहना कि पाइप टूटा है तो नीचे बालटी लगा लो। निष्णात नृत्यांगना बहू के नृत्य शिक्षिका की नौकरी के लिये आवेदन करने पर यह कह कर उसे

नौकरी के लिये मना कर देना कि हमारे जैसी प्रतिष्ठित परिवारों में महिलायें नौकरियां नहीं करती। ऐसे ही कुछ मौके हैं जिनके जरिये फिल्म बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। इस दृश्य के तुरंत बाद बहू का उस घर में लगे हुये कई पीढियों के दंपत्तियों के फोटों को निहारना निर्देशक के द्वारा दिया गया एक गहरा संकेत है। इस फिल्म की एक खासियत यह भी है कि निर्देशक दर्शक को हर दृश्य में सोचने के लिये बाध्य करता है। कलाकारों का अभिनय बिना किसी संवाद के एक दम सही संदेश प्रेषित कर देता है।

यह फिल्म अपेक्षाकृत प्रगतिशील केरल में आज भी व्याप्त मनुवादी पितृसत्तात्मक सोच को दिखाने का काम बेहद प्रभावशाली और विचारणीय तरीके से करती है। शबरीमाला मंदिर के सवाल पर कट्टरपंथियों के द्वारा किये गये बवाल, बहू के द्वारा टी वी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और महिला संगठनों के द्वारा उसका स्वागत करने को देखना, कट्टरपंथियों के द्वारा एक महिला एक्टिविस्ट के घर में घुस कर उसकी बाइक को जला देना और उसी वक्त बहू के घर में शबरी माला मंदिर जाने के लिये तैयार होते हुये पति और ससुर को दिखाना जबरदस्त संप्रेषण है।

फिल्म के अंतिम भाग में जब बहू का गुस्सा इस पोंगापंथियों के खिलाफ जब बेड़ियाँ तोड़ अभिव्यक्त होता है और वह जो करती है उससे फिल्म देखने वाले परंपरावादियों की आंखें तो खुल जानी चाहिए । लेकिन बहू के दृढ निश्चय के साथ घर को छोड़कर जाने और एक प्रतीकात्मक नृत्य का निर्देशन करते हुये दिखाने के साथ साथ निर्देशक यह दिखाने के लिये भी नहीं भूला कि परंपराओं को तोड़ना और समाज को बदलना इतना आसान नहीं क्योंकि फिल्म के अंतिम दृश्य में पति को एक दूसरी पत्नी के हाथ की बनी चाय पीते और और उस पत्नी के द्वारा उसका झूठा कप धोते हुये दिखाया जाता है।

फिल्म श्रृंगार बना दी बेड़ियों को झकझोरती है, संस्कार बना दी गयी रेशम की तंग पोशाक की महीन सींवन को उधेड़ती है। एक रास्ता दिखाती है – जिस पर चला जाना अभी बाकी है।

फॉलो करें:

फेसबुक: facebook.com/AIDWA

वेबसाइट: aidwaonline.org